भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003

[कर्मचारी चयन आयोग (मु.) की वेबसाइट https://ssc.gov.in]

विज्ञप्ति

संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2024

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	02.08.2024 से 25.08.2024
आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	25.08.2024 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि समय	26.08.2024 (2300 बजे)
'आवेदनपत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	04.09.2024 से 05.09.2024 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम (पेपर-I)	अक्तूबर-नवंबर, 2024

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. HQ-C11017/2/2024-C-1 [Comp No. 9398]:- कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के लिए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा।

1.1 पदों की अनंतिम रिक्तियों के ब्योरे निम्नानुसार हैः

कोड	पद का नाम	वेतनमान
ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
बी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (स.से.मु) में कनिष्ठ अनुवाद	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)

	अधिकारी (क.अ.अ.)	
सी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (क.हि.अ.) / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)/ कनिष्ठ अनुवादक (क.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
डी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक (व.हि.अ.) / वरिष्ठ अनुवादक (व.अ.)	स्तर-7 (44900- 142400/- रुपए)

1.2 अनंतिम रिक्तियां :

इसमें लगभग 312 रिक्तियां हैं। तथापि रिक्तियों की सही संख्या का निर्धारण यथा समय किया जाएगा । अद्यतित रिक्तियों की स्थिति, यदि होगी, तो पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in> For Candidates> Tentative Vacancy) पर यथा समय उपलब्ध कराई जाएगी । अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा रिक्तियों का राज्य-वार / क्षेत्र-वार संग्रहण नहीं किया जाता है।

2. आरक्षण और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता :

2.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (आकव) / भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (बें.दि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

2.2 परीक्षा की इस विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांकित 04.01.2021 एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

क्रमांक	**पद नाम**	**कार्यात्मक आवश्यकता**	**बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी**
1	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक / वरिष्ठ अनुवादक	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.दृ ख) ब., श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, तंत्रिका / अंग अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ङ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
2	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.दृ ख) ब. , श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, मा.दु. तंत्रिका /

			अंग अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि.(ह), वि.अ.अ., मा.रो. ङ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं

<u>प्रयुक्त संक्षिप्त नाम</u>:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, प.लि = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ने.ही = नेत्रहीन, अ.दृ = अल्प दृष्टि, ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, दो.पै = दोनों पैर, ए.हा.ए.पै = एक हाथ और एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, मा.दु. =मांसपेशीय दुर्विकार, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, ऑ.स्पे.वि.(ह) = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ह=हल्का, म.= मध्यम), वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दियांगताएं

नोट: उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की उपयुक्तता भारत सरकार के संबद्ध काया्रलयों, अधीनस्थ काया्रलयों औ सांविधिक नियों सहित मांग करने वाले मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा प्राप्त छूट, यदि कोई है, के अध्यधीन होगी ।

2.3 आयोग अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए मांगकर्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार करता है । किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या के निर्धारण करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है । आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण प्रयोक्ता विभागों के अधिकार क्षेत्र (डोमेन) के अंतर्गत आते हैं।

2.4 चूंकि भरे जाने वाले पद समूह 'ख' पद हैं, अत: भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए इनमें आरक्षण नहीं है। तथापि, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार भूपूसै अभ्यर्थियों को आयु में छूट अनुमत्य है।

3. <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता:</u>

अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए:-

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भूटान की प्रजा हो, या

(iv) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो ।

(v) बशर्ते कि उपरोक्त (ii), (iii) और (iv) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो । जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

4. आयु सीमा (दिनांक 01.08.2024 के अनुसार) एवं आयु में छूट :

4.1 आयु का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.07.1988 के का.ज्ञा. सं. 14017/70/87-Estt(RR) में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.08.2024 निर्धारित की गई है । इन पदों के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है:

दिनांक 01.08.2024 को 18 से 30 वर्ष अर्थात जिन अभ्यर्थियों का जन्म 02.08.1994 से पहले और 01.08.2006 के बाद न हुआ हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं ।

4.2 (i) ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार हैं :

कोड संख्या	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	दिव्यांगजन (अना)	10 वर्ष
04	दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	3 वर्ष
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	8 वर्ष

(ii) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई वही जन्म तिथि आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी जोकि उसके मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित है और इसमे परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार/ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

(iv) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया है अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में है कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा । ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक की स्थिति भी प्राप्त करनी होगी ।

(v) **स्पष्टीकरणः** भूपूसै से अभिप्राय वह व्यक्ति है-

क. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

i. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या
ii. जिसे चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जिसे सैनिक सेवा माना जा सके और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
iii. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

ख. जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं ; अथवा

ग. सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

घ. ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

ड.   प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

च.   भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

छ   भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

5. <u>प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुपः</u>

5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित रूप में प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध में संलग्न हैं । दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा।

5.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में, इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। **यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी कई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय / संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी ***X*** *ने अपने आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी अपिव भरी है। यदि* ***X*** *दस्तावेज सत्यापन के समय या प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष किसी भी चरण में परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और* किसी श्रेणी के अंतर्गत उसकी अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा

5.3 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्लूबीडी) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अनुसार आवेदनपत्र में भरते समय उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी अर्थात अदि/श्रदि/दृदि/अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन का चयन करना होगा । किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी में बाद में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में संबंधित प्रयोक्ता संगठनों

/कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारीद्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांगव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी- **III,** दिनांक 04.01.2021 में उल्लिखितानुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं की उप श्रेणी / उप श्रेणियों (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, वि.अ.अ., मा.रो. आदि) का दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरे गए बेंचमार्क दिव्यांग संबंधी दावे के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इस बारे में शिकायत होने पर मामला प्रयोक्ता विभाग के साथ उठाया जाए। आयोग इस प्रकार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

5.4 अजा/अजजा/अपिव/आकव/बें.दि./भूपूसै स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25.08.2024 होगी ।

5.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता है।

5.6 आकव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था.(रेस.) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है।

5.7 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यताओं, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेंजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/ बे.दि./भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

6. <u>अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक द्वारा सहायता:</u>

6.1 दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहता है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है । **चूँकि ये पद दोनों बांह प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

6.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले शेष व्यक्तियों के मामले में, अनुबंध-I पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी

कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है ।

6.3 दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी । यह सुविधा अनुबंध-Iक के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी ।

6.4 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / पाठवाचक की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इसका विकल्प चुना हो।

6.5 अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार है । अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त विकल्प देना होगा ।

6.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीची होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक का विकल्प दे रहे बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । उपर्युक्त पैरा 6.1, 6.2 एवं 6.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र और अपने प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-IIक पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के ब्योरे देने होंगे । इसके अतिरिक्त, प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में (पैरा 13.7 में दी गई सूची के अनुसार) वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध-II/ अनुबंध-IIक पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को उस पद के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

6.7 यदि अभ्यर्थी अपना प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

6.9 पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

6.10 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6.11 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी अन्य समय, यथा-प्रयोज्य, प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे । ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

6.12 एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

7. <u>अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 25.08.2024 को) :</u>

7.1 <u>पद कोड 'ए' से 'सी' के लिए (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी / कनिष्ठ अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया गया हो ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर इनमें से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के लिया गया हो ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।

7.2 <u>पद कोड 'डी' के लिए (वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ वरिष्ठ अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया गया हो ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर इनमें से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के लिया गया हो ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो । तथापि, ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए जब अभ्यर्थी ने प्राप्त किया हो ।

7.4 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं.3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा ।

7.5 अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत, संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा । जब संगत दस्तावेज संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के प्रयोजनार्थ मांगे जाएंगे तो अभ्यर्थियों को कट-ऑफ दिनांक को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में इस प्रकार के दस्तावेज, जैसे - अंकपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र इत्यादि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे । अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

7.6 वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उनके संबंध में भी शैक्षिक योग्यता को पूरा होना माना जाएगा । यह पुन: बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का परिणाम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। **बोर्ड द्वारा निर्णायक तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं हैं।**

7.7 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले अभ्यर्थियों के पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए ।

8. आवेदन करने का तरीका और आवेदन शुल्क:

8.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in पर जमा करने होंगे । विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- III** और **अनुलग्नक- IV** का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **अनुलग्नक-IIIक** और **अनुलग्नक- IV क** के रूप में संलग्न हैं ।

8.2 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई साइट के

लिए कार्य नहीं करेगा । एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं । एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैद्य बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-।।। में दिए गए हैं ।

8.3 आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले लिया गया फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।
(vi) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए ।

8.4 अभ्यर्थी परीक्षा में वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में फोटो दी गई है। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट है, टोपी और चश्मा पहन कर नहीं ली गई है और सामने का पूरा चेहरा दृश्यमान है । जिन आवेदनों में फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद फोटो से फोटो नहीं लेनी चाहिए । ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले से ली गई फोटो से फोटो खींचकर लगाई गई हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

8.5 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन / अभ्यर्थिता अस्वीकृत या रद्द कर दी जाएगी।

8.6 अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए । हस्ताक्षर की छवि की आयाम लगभग 6.0 सेमी. (चौड़ाई) और 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । अनुपयुक्त फोटोयुक्त या धुंधले / लघु आकार वाले फोटो या हस्ताक्षर उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करते हों, उनको सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

8.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **25.08.2024 (23:00 बजे तक)** है।

8.8 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

8.9 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10 **ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हे यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें।**

8.11 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए) ।

8.12 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

8.13 अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान दिनांक 26.08.2024 (23:00 बजे तक) ऑनलाइन मोड नामत: भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।

8.14 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

8.15 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा ।

9. <u>आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [04.09.2024 से 05.09.2024 (23:00 बजे तक)]:</u>

9.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

9.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

9.4 सुधार राशि की प्राप्ति के अध्यधीन नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

9.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

9.6 यदि लागू सुधार शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।

9.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

10. <u>परीक्षा केन्द्रः</u>

10.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को अवश्य इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है । परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), पटना (3206), पूर्निया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/** बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211001 (http://www.ssc-cr.org)
2	कोलकाता (4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक (4001), भुवनेश्वर (4604), रांची (4205)	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/** अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, आठवां तल, प्रथम एमएसओ भवन, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलूरू (9001), हुबली (9011) कोझिकोड (कालीकट) (9206), तिरूवनंतपुरम (9211), एरनाकुलम (9213)	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरू, कर्नाटक-560034

			(www.ssckkr.kar.nic.in)
4	रायपुर (6204), भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), जबलपुर (6007)	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे)**/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी रायपुर, छतीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5	गुवाहाटी **(**दिसपुर**)** (5105) शिलांग (5401), अगरतला (5601)	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401)**,** बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406)**,** देहरादून (2002), हलद्वानी (2003)**,** रूड़की (2006)	**उत्तरी क्षेत्र (NR)**/ दिल्ली ,राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.net.in)
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202)**,** शिमला (1203)**,** जम्मू (1004), जलंधर (1402)**,** पटियाला (1403)	**पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)**/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चेन्नई (8201), हैदराबाद (8002), कुरनूल (8003), तिरुचिरापल्ली (8206), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008)**,** तिरुनेवेली (8207)	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)

9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), राजकोट (7006), अमरावती (7201), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नासिक (7207), पुणे (7208)	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/** दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net)

10.2 कोई भी अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। **बाद में, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र को बदलने से संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।** इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।

10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा । तथापि, आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है । आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

10.4 अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्रों से संबंधित अधिकार क्षेत्र वाला क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस भर्ती से संबंधित अन्य कार्य-कलाप उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे । आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है । आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

11. परीक्षा की रूपरेखाः

11.1 इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। इन प्रश्नपत्रों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :-

भाग	प्रश्नपत्र की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	कंप्यूटर आधारित पद्धति	(i) सामान्य हिन्दी (ii) सामान्य अंग्रेजी	100/100 100/100	2 घंटे (ऊपर पैरा-6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)
प्रश्नपत्र-II	वर्णनात्मक	अनुवाद तथा निबंध	200 अंक	2 घंटे (ऊपर पैरा-6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का

				उपयोग करने के पात्र हैं)

11.2 प्रश्नपत्र-। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे।

11.3 प्रश्नपत्र-। में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

11.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-। दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ।

11.5 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियों आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते है और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न, जो कि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते है। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित, बाद में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.6 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तारीख अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

11.7 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा।

11.8 प्रश्नपत्र-।। में, अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नंबर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रासंगिक कॉलम में हस्ताक्षर करना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं होगा, उनमें शून्य अंक दिया जाएगा।

11.9 अभ्यर्थियों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका (पेपर-।।) के अंदर कोई भी व्यक्तिगत पहचान, जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि न लिखें, ऐसा करना अनुचित साधनों (यूएफएम) का प्रयोग माना जाएगा। जो अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अंक दिए जाने के बावजूद शून्य दिया जाएगा।

12 **निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:**

12.1 **प्रश्नपत्र-I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा):** इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके । प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे ।

12.2 **प्रश्नपत्र-II: (अनुवाद और निबंध):** अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए दो गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी तथा एक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में एक-एक निबंध लिखना होगा। **प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा ।**

13. परीक्षा में प्रवेश:

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमे सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।

13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाईन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानक इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों/ संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी । परिणाम की घोषणा के बाद उपयोगकर्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों को निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाईन जारी किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है

कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्योरा **पैरा-10.1** पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग 10-14 दिन पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।**

13.7 प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-

(i) आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट
(ii) मतदाता पहचान-पत्र कार्ड
(iii) ड्राइविंग लाइसेंस
(iv) पैन कार्ड
(v) पासपोर्ट
(vi) विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
(vii) नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी) आदि।
(viii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका
(ix) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

13.8 अगर फोटो पहचान-पत्र में जन्म-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (अर्थात सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

13.9 पैरा-6.1, 6.2 और 6.3 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ वचन-पत्र/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमे निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज़ के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

13.10 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।

14. <u>दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.):</u>

14.1 अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों द्वारा किया जाएगा ।

14.2 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है।

14.3 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय ऊपर पैरा 13.7 के अनुसार दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटो और एक मूल फोटो आईडी प्रमाण लाना होगा।

14.4 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति तथा साथ ही विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

(i) मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र

(ii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र

(iii) अनुवाद/ अनुभव प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।

(iv) जाति / श्रेणी प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।

(v) निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो ।

(vi) भूतपूर्व सैनिक के लिए :

(क) अनुबंध-V के अनुसार कार्यरत रक्षाकर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो ।

(ख) अनुबंध-VI के अनुसार वचन-पत्र ।

(ग) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो ।

(vii) आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़ ।

(viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए ।

(ix) जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हे निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे :

(क) महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतिया शपथ- आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

(ख) महिला की दूसरी शादी के मामले में :-तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रतियां शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।

(ग) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा ।

(घ) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना ।

(x) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

14.5 **यह दोहराया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता/ जाति/ श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

15. <u>पद वरीयता:</u>

15.1 **अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी ।** अभ्यर्थी का उस पद और मंत्रालय/ विभाग/ संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने उसके लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। **इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।**

15.2 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयताएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

15.3 **अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने चयन की संभावना में बढ़ोत्तरी के लिए अधिकतम वरीयताएं दें।**

16. <u>चयन का तरीकाः</u>

16.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:-
(i) अनारक्षित: 30%
(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 25%
(iii) अन्य सभी श्रेणियाँ: 20%

16.2 प्रश्नपत्र-I अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार प्रश्नपत्र-।। में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा ।

16.3 प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा। प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ हो सकते है।

16.4 अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में उनके प्रदर्शन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों /विभागों की वरीयता के आधार पर मंत्रालय/ विभाग/ संगठन का आबंटन तथा अंतिम चयन किया जाएगा ।

16.5 अभ्यर्थी को उनके योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर पद और मंत्रालय/ विभाग/ संगठन के अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता **अंतिम** माना जाएगा और यह **अपरिवर्तनीय** होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदों/विभागों के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है तो मेरिट में स्थिति चाहे जो भी हो उनके नाम पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता देते समय यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए ।

16.6 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों / विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर पदों के लिए अंतिम आवंटन तैयार करता है और एक बार पद आवंटित होने के बाद, शारीरिक / चिकित्सा / शैक्षणिक मानकों की किसी भी पद विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए चुना गया है; उस स्थिति में, यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षणिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

16.7 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भू.सै., और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र योग्यता या रिक्तियों में अपनी स्थिति के अनुसार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, पद में सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में से समायोजित किया जाएगा, । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

16.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, अपेक्षाकृत अधिक छूट (एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन) आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त

करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, उसे अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित न करके आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को उसकी आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

16.9 बेंचमार्क दिव्यांगजन, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।

16.10 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा । लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

16.12 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे और परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों । परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा ।

16.13 नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले है।

16.14 अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता हैं। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय द्वारा स्थायी करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती हैं।

16.15 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के

दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए ।

16.16 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

16.17 आयोग की नीति के अनुसार, आयोग द्वारा आयोजित बहुकारक परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग प्रतीक्षा सूची/ रिजर्व पैनल नहीं रखता है। इसलिए इस परीक्षा के लिए कोई प्रतीक्षा सूची/ आरक्षित सूची नहीं होगी। भरी न गई रिक्तियां, यदि कोई हों, तो उपयोगकर्ता विभागों द्वारा भर्ती के अगले वर्षों में आगे बढ़ा दी जाएंगी।

16.18 अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत कोई भी प्रतीक्षा सूची /आरक्षित सूची नहीं होगी ।

17. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटाराः</u> उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र-I तथा प्रश्नपत्र-II में कुल अंक एक समान प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

i. प्रश्नपत्र -II में कुल अंक।

ii. प्रश्नपत्र -I (अर्थात सामान्य हिन्दी) के भाग (i) के अंक।

iii. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।

iv. नामों के वर्णानुक्रम को देखकर ।

18. <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाईः</u>

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए	3 वर्ष

	उकसाना	
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	10 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. **<u>आयोग का निर्णय अंतिमः</u>** पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व बल आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय

लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (अना/अजा/ अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शादि/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्योरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार :</u>

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. **<u>अयोग्यता:</u>** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:</u>

(क)	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**
(ख)	**अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।**
(ग)	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा । ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं । नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा । ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।
(घ)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व

	शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (दों) के लिए पात्र हैं । उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी । अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शै.यो. / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद , यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(ङ)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बे.दि/ भू.सै. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(च)	**बेंचमार्क दिव्यांगता** वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन (दि.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु मे छूट/ आरक्षण के हकदार होंगे ।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(ज)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा बेंचमार्क दिव्यांगजन को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(झ)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है, जिसमें "आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो" की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए । यदि किसी अभ्यर्थी के विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे नियमानुसार आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।
(ञ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मानकों को सही / संशोधित करने के लिए दो दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-9 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु जमा किए गए पिछले आवेदन (आवेदनों) को रद्द कर दिया जाएगा।
(ट)	संशोधित / अंतिम, यथासंदर्भित ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को

	यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात या 'आवेदनपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ठ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग/ प्रयोक्ता विभाग के किसी भी समय ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ड)	**आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। ऐसे सभी आवेदन जहां उसकी पहले से मौजूद फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है ।** **अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:** **(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।** **(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।** **(iii) अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।** **(iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।** **(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।** **अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**
(ढ)	**अनुपयुक्त फोटो या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन, जो निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे।**
(ण)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।

(त)	आयोग सक्षम प्राधिकारी की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के अध्यधीन सत्यापन के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी के आधार डाटा का प्रयोग कर सकता है। परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा प्रतिरूपित अभ्यर्थी बनने की कोशिश करने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदन पत्र भरने के दौरान फोटोग्राफ लाइव लिया गया है, इसलिए परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र में फोटो की तुलना में अभ्यर्थी की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं होना **चाहिए। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार हो।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद फोटो की फोटो नहीं खींचनी चाहिए**। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उसकी पहले से मौजूद फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे।**
(थ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य,जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/ विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/उपक्रम), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भू.सै. सेवामुक्ति पुस्तिका, या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 13.7 के अनुसार) लाना चाहिए । जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/ वचनपत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।
(द)	अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी । किसी पद और मंत्रालय/ विभाग /संगठन के लिए अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने उसके लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयताएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ध)	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
(न)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

(प)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए ।
(फ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए ।
(ब)	**ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को एप्लिकेशन मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी फोटो खींचनी होगी और पहले से मौजूद स्वयं की फोटो नहीं रखनी होगी। फोटो बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए। चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो नहीं खींची गई है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी।**
(भ)	आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(म)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें ।
(य)	आवेदन भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्प लाइन से संपर्क कर सकते हैं: (i) टोल फ्री हेल्प डेस्क (क.च.आ.-मु.) 1800 309 3063 (ii) क.च.आ. (म.क्षे.), प्रयागराज 0532 2460511, 0532 6541021 (iii) क.च.आ. (पू.क्षे.), कोलकाता 09477461228, 033 22902230 (iv) क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरू 080 25502520, 09483862020 (v) क.च.आ. (म.प्र.क्षे.), रायपुर 0771 2282507, 0771 2282678 (vi) क.च.आ. (उ.पू.क्षे.), गुवाहाटी 09085073593, 09085015252 (vii) क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली 011 24363343 (viii) क.च.आ. (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), चंडीगढ़ 0172 2749378, 0172 2744366 (ix) क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई 09445195946, 044 28251139 (x) क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई 09869730700, 07738422705

अवर सचिव

कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

<u>**अनुबंध-I**</u>

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य ....के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-I क

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है ।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ___________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .... अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

<u>**अनुबंध-II**</u>

<u>स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र</u>

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी हूं,....................... (परीक्षा का नाम) में बैठने के लिए..... .. (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... जिले में स्थित .... (केंद्र का नाम) में रोल नं. .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि .... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

<u>अनुबंध-II क</u>

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र

मैं ______________________ , ____________________ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, ____________________________जिला, ... (राज्य का नाम) में स्थित ....(केंद्र का नाम), से ________________________________ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर ___________ है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है ।

2. मैं एतदद्वारा व्यक्त करता हूं कि ____________________________ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतदद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग-I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन ' एकबारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i. वोटर आईडी कार्ड
     - ii. पैन
     - iii. पासपोर्ट
     - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
     - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
     - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
   - ङ) यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।
3. एकबारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाईट अर्थात http://ssc.gov.in पर 'Login or Register' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. व्यक्तिगत विवरण
   - ख. पासवर्ड बनाना
   - ग. अतिरिक्त विवरण
   - घ. घोषणा ।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
   - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की

प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है । यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें।

ग. क्रम संख्या-2: यदि आप आधार संख्या नहीं देना चाहते हैं तो अपने पहचानपत्र संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें ।

घ. क्रम संख्या-3: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 4 क और 4 ख में करें।

ङ. क्रम संख्या-5: लिंग (पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर)

च. क्रम संख्या-6: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या-7: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या-8: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-9 से क्रम सं.-11 : मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 12: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)।

ट. क्रम संख्या- 13: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या-14: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 14 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा और आपकी पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगी । आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल तथा ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी । यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं ।

ऑनलाइन आवेदनपत्र में अतिरिक्त ब्योरे:

द. क्रम संख्या-1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या-3 : यदि आपकी राष्ट्रीयता भारतीय से अन्यथा है तो संपर्क विवरण प्रदान करें ।

प. क्रम संख्या-4 : दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

फ. क्रम संख्या-5: यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। यदि आप सरकारी नौकरियों के लिए चिन्हित किसी उपयुक्त विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें ।

ब. क्रम संख्या-6 से 7: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें।

भ. क्लिक करने पर, आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर विभिन्न ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दोनो में से किसी एक ओटीपी को डालना होगा।

म. "घोषणा" को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो "I Agree" पर क्लिक करें।

य. मूलभूत जानकारी प्रस्तुत करने पर यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा

6. **यद्यपि आप अपने एकबारगी पंजीकरण डाटा में संशोधन/परिवर्तन कर सकते हैं तथापि आपको एकबारगी पंजीकरण विवरण भरते समय अत्यंत सावधानी बरतना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।**

7. **आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

एक बारगी पंजीकरण की क्रमिक प्रक्रिया:

पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 'Login or Register पर क्लिक करें । '

'Login or Registerएक छोटा विंडो ,पर क्लिक करने के पश्चात ' दिखाई देगा । इस विंडो में नीचे , 'Register Now' पर क्लिक करें । उसके पश्चात आप 'One-Time Registration पृष्ठ पर जा ' सकेंगे।

1.1 एक बारगी पंजीकरण पृष्ठ

होम पृष्ठ पर आपको 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए उपलब्ध चरणों का अनुसरण करना होगा । आगे बढ़ने के लिए 'Continue' पर क्लिक करें और व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर पहुंचे ।

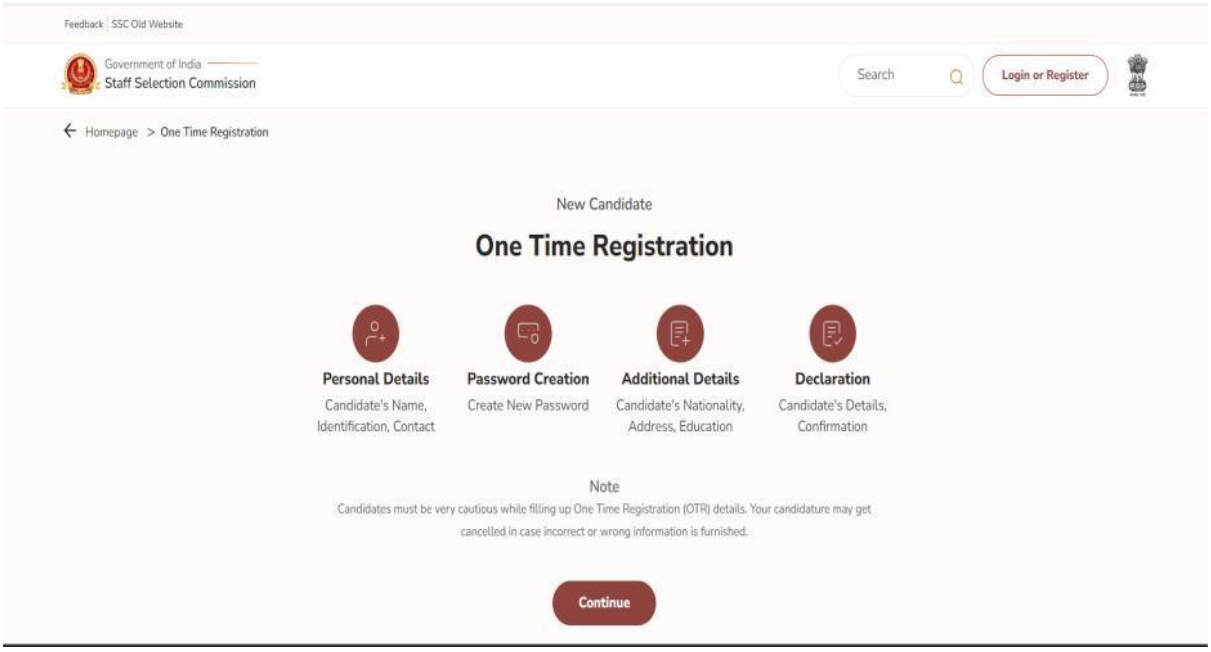

1.2 व्यक्तिगत विवरण भरें

सटीकता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण विवरणों जैसे आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि की प्रविष्टि दो बार करें । किसी भी प्रकार की विसंगति का संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

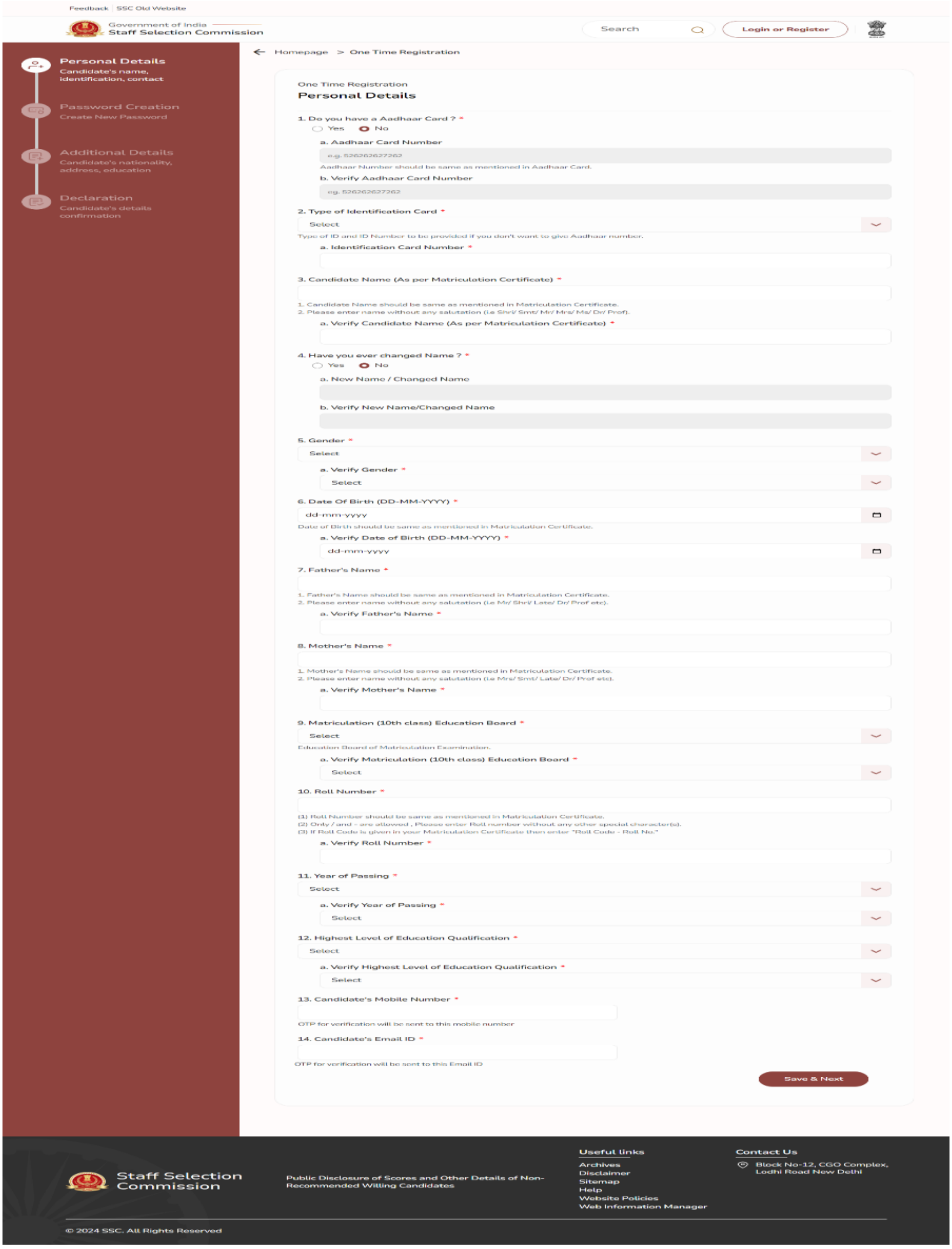

1.3 पंजीकरण विवरण पृष्ठ

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ओटीपी का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के पश्चात, 'Save & Next' बटन पर क्लिक करने पर प्रदान किए गए 'Personal Details' (क्र. सं. 1 से 14) संग्रहीत हो जाएंगे । उपयोगकर्ता को पुनः पंजीकरण विवरण पृष्ठ पर भेजा जाएगा जहां पंजीकरण संख्या प्रदर्शित हो रही है। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा । पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर अवश्य पूरी की जानी चाहिए अन्यथा सहेजे गए विवरण हटा दिए जाएंगे।

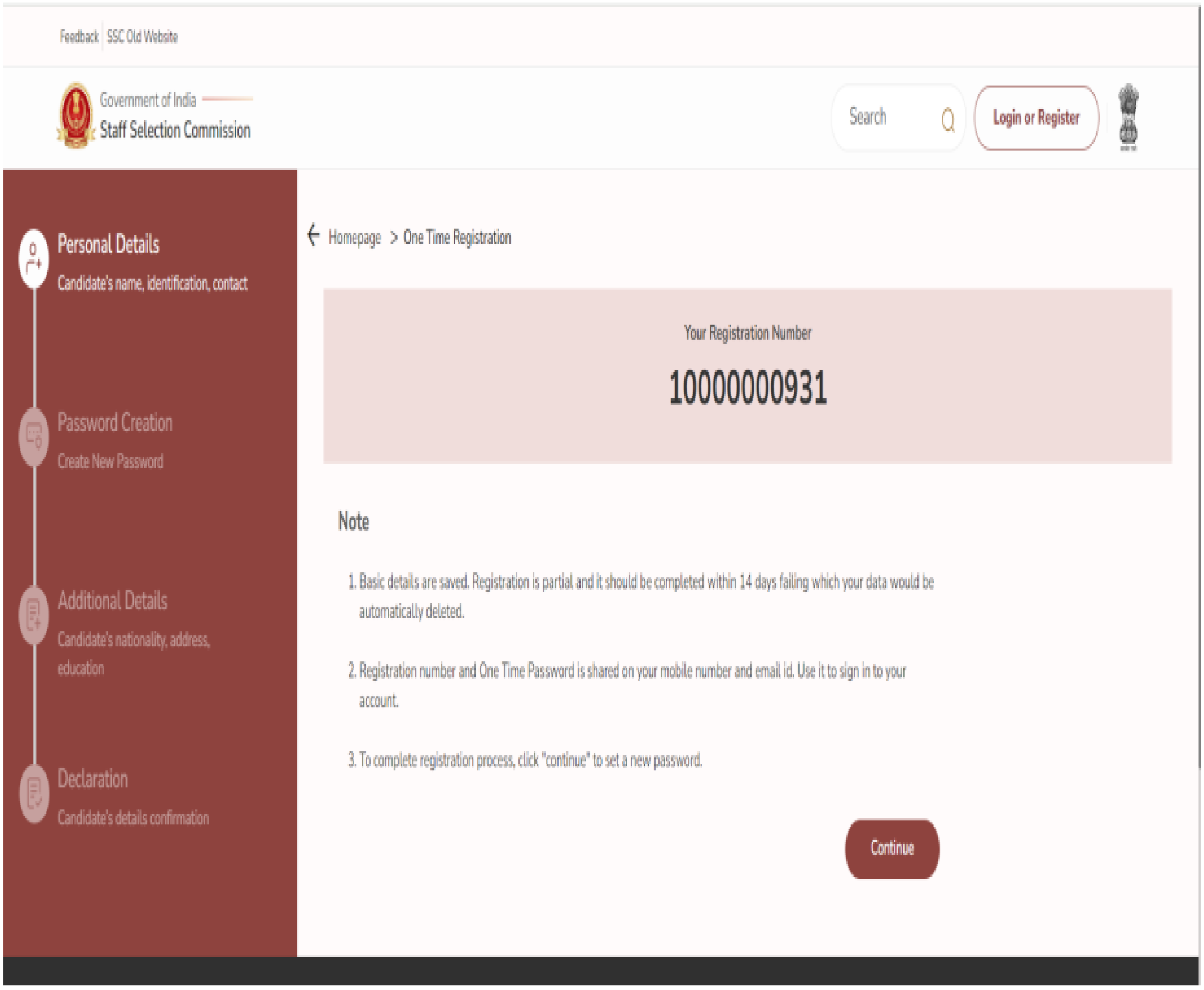

1.4 वन टाइम पासवर्ड के साथ लॉगिन स्क्रीन

बची हुई पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उपयोगकर्ता 'Continue' पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें अगले स्क्रीन पर प्रदर्शित लॉगिन पेज पर ले जाएगा । यदि उपयोगकर्ता अगले दिन पंजीकरण पूरा करने हेतु चयन करते हैं तो वे वेबसाईट शीर्ष पर 'Login or Registration' बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकरण संख्या का उपयोग यूजर नाम के रूप में किया जाएगा और प्रारम्भिक लॉगिन हेतु उपयोगकर्ता के मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा । प्रथम लॉगिन पर, उपयोगकर्ता को अपना पासवर्ड बदलने का संकेत मिलेगा।

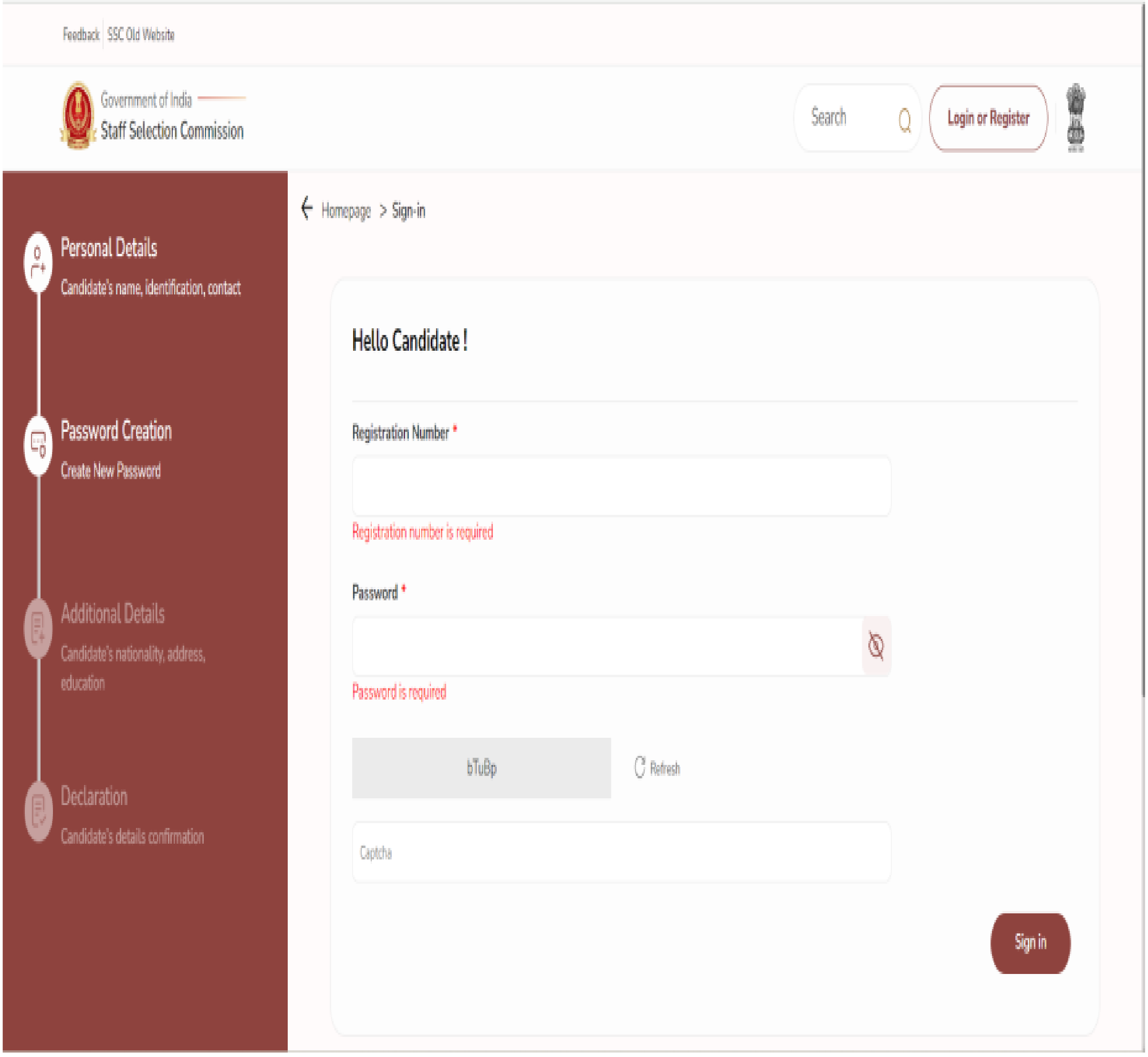

1.5 पासवर्ड सृजन (creation) पृष्ठ

प्रारम्भिक लॉगिन पर, उपयोगकर्ता को पासवर्ड सृजन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जैसाकि चित्र में दिखाया गया है। पासवर्ड को सफलतापूर्वक बदलने के पश्चात, उन्हें लॉगिन पृष्ठ पर पुनः ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अपनी पंजीकरण संख्या और नए बदले हुए पासवर्ड का प्रयोग कर दोबारा लॉगिन करना होगा । प्रारंभ में पंजीकरण संख्या पहले से ही भरी होगी । पासवर्ड बदलने के साथ आगे बढ़ने के लिए, उपयोगकर्ता को उसके मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए पुराने पासवर्ड को इनपुट करना होगा । उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्दिष्ट सत्यापन का पालन करते हुए अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं ।

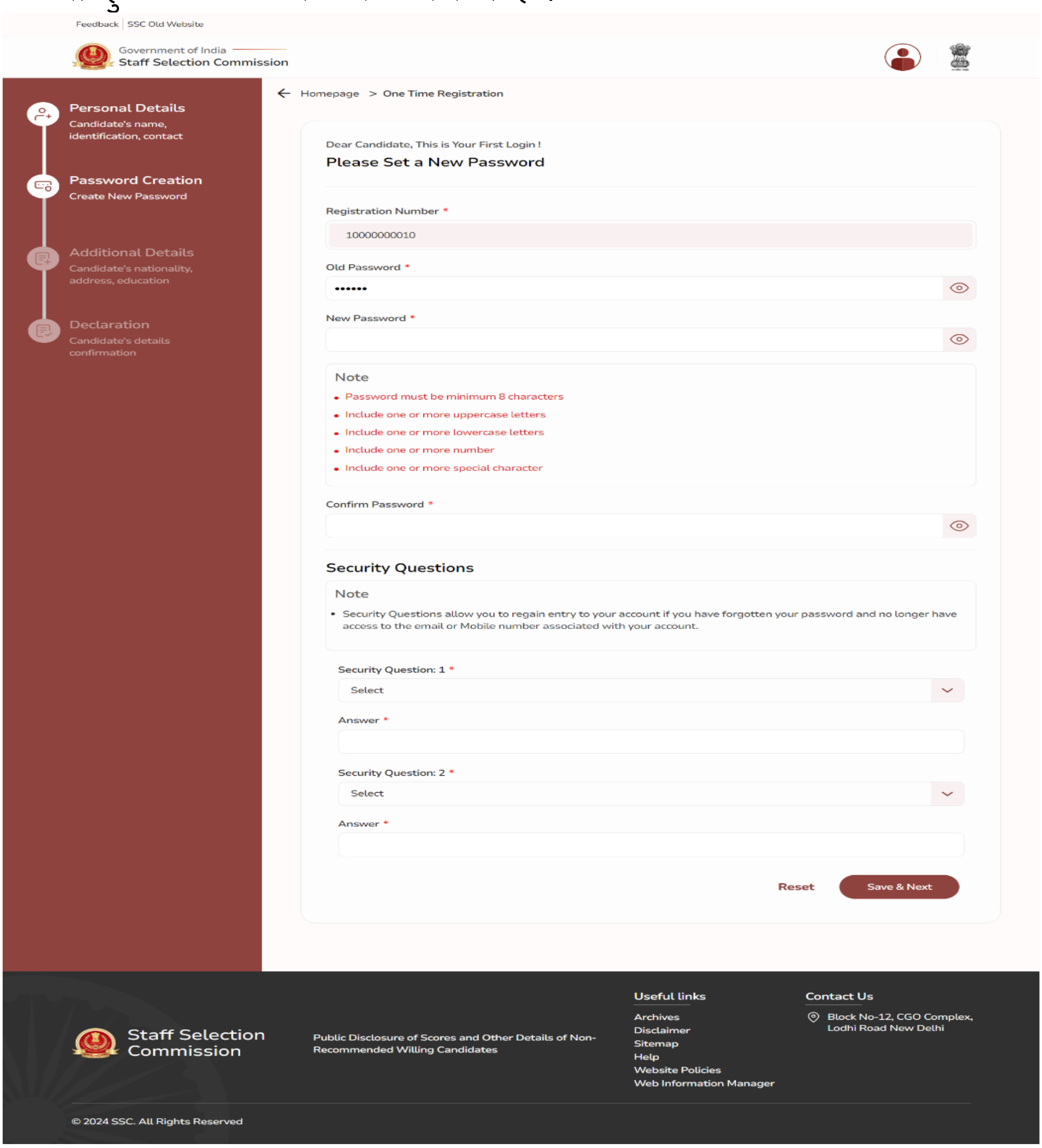

1.6 नए सेट किए गए पासवर्ड के साथ लॉगिन

पासवर्ड बदलने के बाद, उपयोगकर्ता को नीचे प्रदर्शित स्क्रीन दिखाई देगी । लॉगिन करने के पश्चात, उपयोगकर्ता को अतिरिक्त विवरण पृष्ठ पर ले जाया जाएगा ।

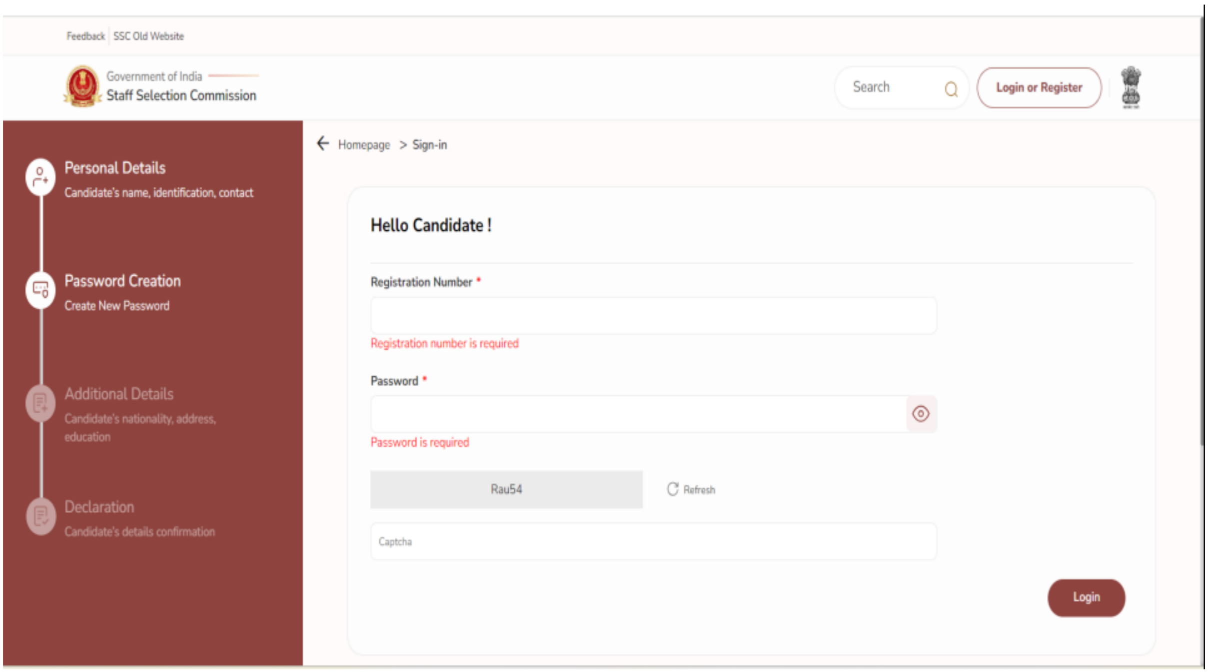

1.7 अतिरिक्त विवरण पृष्ठ

अतिरिक्त विवरण को पूरा करने के लिए, उपयोगकर्ता को अपनी श्रेणी (क्र.सं.-1), राष्ट्रीयता (क्र.सं.-2) और, यदि 'भारतीय नागरिकता' से भिन्न नागरिकता है, तो 'Contact Details for Other Nationals' को सक्रिय (enable) करना होगा। यदि उपयोगकर्ता की नागरिकता 'भारतीय नागरिक' है तो उन्हें अपने स्थायी और वर्तमान पते का विवरण भरना होगा अथवा यदि नागरिकता भिन्न है तो इन्हें निष्क्रिय (disable) करना होगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता को अपने दृश्यमान पहचान चिह्न (क्र.सं.-4) के बारे में जानकारी तथा बेंचमार्क दिव्यांगता (क्र.सं.-5) दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या के साथ, यदि लागू हो, जानकारी प्रदान करनी चाहिए । यदि नागरिकता " है, तो उपयोगकर्ता को अपने स्थायी और वर्तमान पते का विवरण भरना चाहिए, डाटा को सेव कर पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग की तरफ बढ़ें।

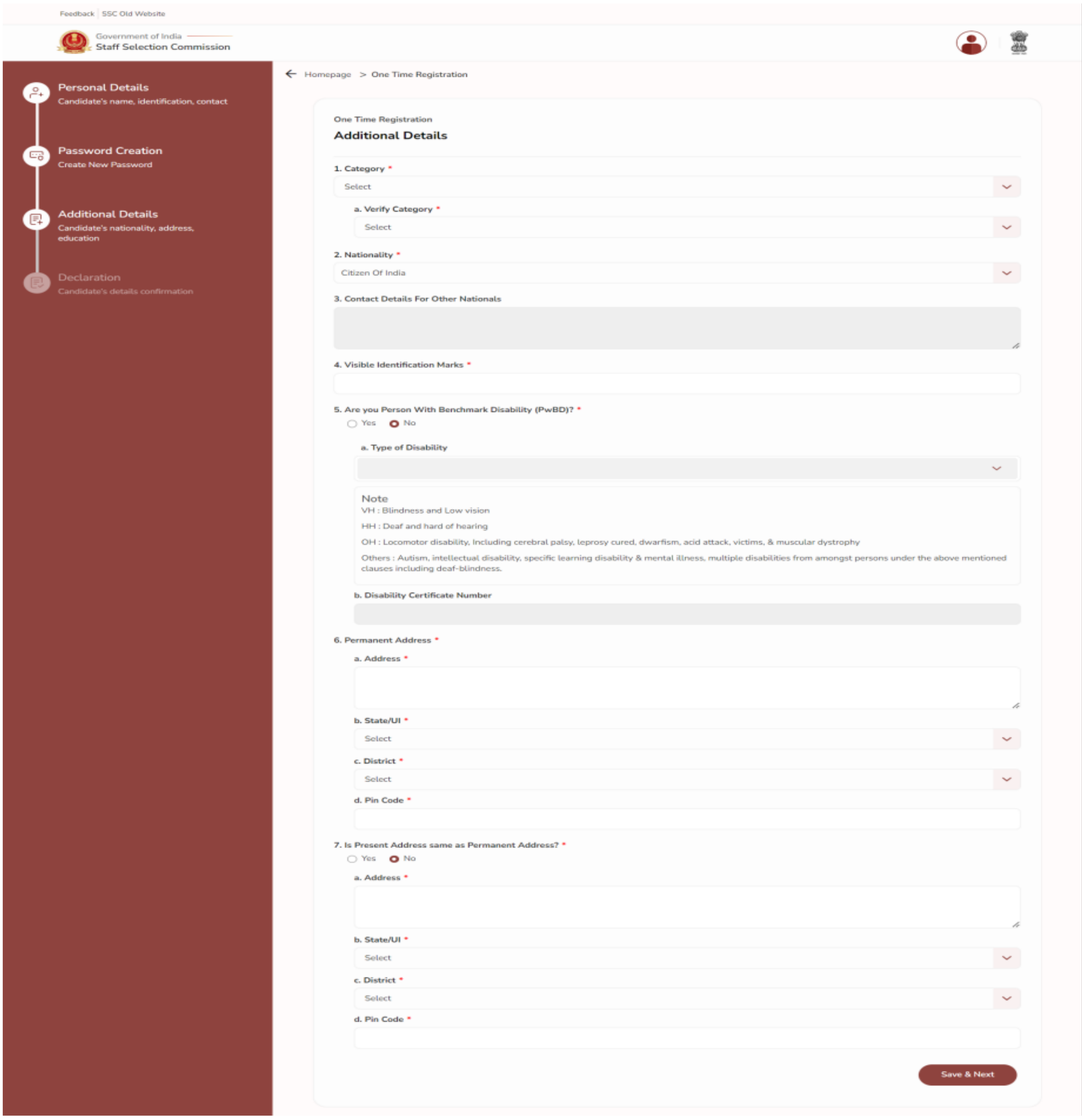

1.8 घोषणा

घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, उपयोगकर्ता को ‘I Agree’ “Preview OTR” चेक करना चाहिए उसके बाद ‘Declare’ पर क्लिक कर घोषणा सबमिट करें । सफलतापूर्वक जमा होने पर, उपयोगकर्ता को पुनः डैश्बोर्ड पर ले जाया जाएगा ।

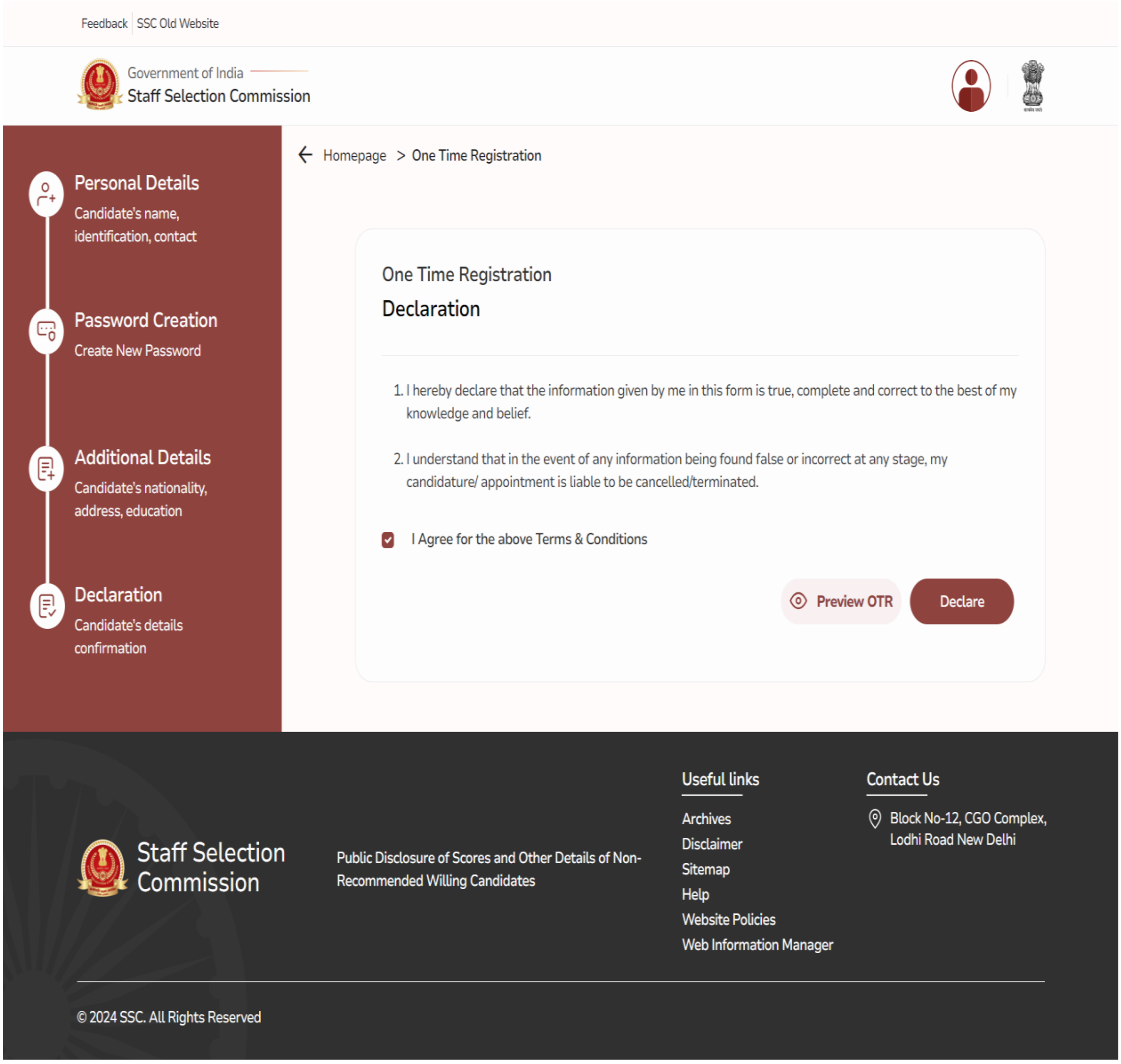

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा ।

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।

(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।

(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपना लाइव फोटोग्राफ खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपनी लाइव फोटो खींचने हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर (QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए । यदि आवेदन वाली फोटो निर्देशानुरूप नहीं होती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

क)जेपीईजी/ जेपीजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए।

ख) अपठनीय/ धुंधले /लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण जैसे उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत/सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम आदि।

2. अपने “**पंजीकरण संख्या”** और “**पासवर्ड”** के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. “Live Exam” टैब के अंतर्गत ‘Combined Hindi Translators Examination, 2024’ सेक्शन में **“Apply”** लिंक पर क्लिक करें।

4. **क्रम सं.-1 से 18** कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। **तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉगिन स्क्रीन के दाएं हाथ के ऊपर कोने में प्रदान किए गए 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**

5. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें ।

6. क्रम संख्या-20.1 से 21.10: शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरें (कृपया विज्ञप्ति का पैरा 7 देखें)।

7. क्रम संख्या-22: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत है, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए ।

8. संख्या-23: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु संबंधी छूट श्रेणी का चयन करें।

9. क्रम संख्या-24: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा संख्या 20 देखें और तदनुसार भरें।

10. क्रम संख्या-25: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा संख्या 10 देखें)।

11. क्रम संख्या-26.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल **बेंचमार्क दिव्यांग- अन्य अभ्यर्थियों** के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 26.1 में "Yes" का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत **दृ.दि. (दृष्टिहीनता/ अल्प दृ.)** के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.1 का संदर्भ लें ।

12. क्रम संख्या-26.2: सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (प्र.प) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल **बेंचमार्क दिव्यांग -अस्थि दिव्यांग** और **बेंचमार्क दिव्यांग - अन्य अभ्यर्थियों** के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 26.2 में "Yes" का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे; तथापि. इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय यह प्रमाणपत्र मूल रूप से भी प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.1 का संदर्भ लें।

13. क्रम संख्या-26.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.2 अथवा 6.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं हैं और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों, जो **बेंचमार्क दिव्यांग - दृ.दि.** अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 26.1 या 26.2 में "Yes" का चयन किया है, पर लागू नहीं होगा । यह विकल्प सभी **अन्य बेंचमार्क दिव्यांग तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों** के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 26.3 में "Yes" का चयन करने वाले **बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी** प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । क्रम सं. 26.3 में "Yes"

का चयन करने वाले **गैर-बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी** प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-6.2 और 6.3 देखें।

14. क्रम संख्या-26.4: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-6 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 26.1 अथवा 26.2 या 26.3 में "Yes" का चयन किया हो ।

15. क्रम सं.-27: परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 7.1 अथवा/और 7.2 के अनुसार अनुवाद में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा से संबंधित प्रासंगिक विकल्प का चयन करें ।

16. क्रम सं.-28: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 अथवा/और 7.2 के अनुसार अनुवाद कार्य में उपयुक्त अनुभव से संबंधित प्रासंगिक विकल्प का चयन करें।

17. उपर्युक्त क्रम सं.-1 के निर्देशानुसार अपना फोटोग्राफ खींचें । धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

18. उपर्युक्त क्रम सं.-1 के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें । धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

19. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया जांच लें कि सभी दर्ज किए गए विवरण सही हैं तथा फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशों जैसाकि विज्ञप्ति में कई स्थानों पर उल्लिखित है, का विधिवत पालन किया गया है और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें ।

20. "I Agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूर्ण करें । जैसाकि पूर्वावलोकन में दिखाई देता है, अपने आवेदन डाटा की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात "Submit Application" के साथ आगे बढ़ें ।

21. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

22. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है ।

23. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-8 का संदर्भ लें।

24. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं के रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य लेना चाहिए ।

अनुबंध-IVक

1. व्यक्तिगत विवरण

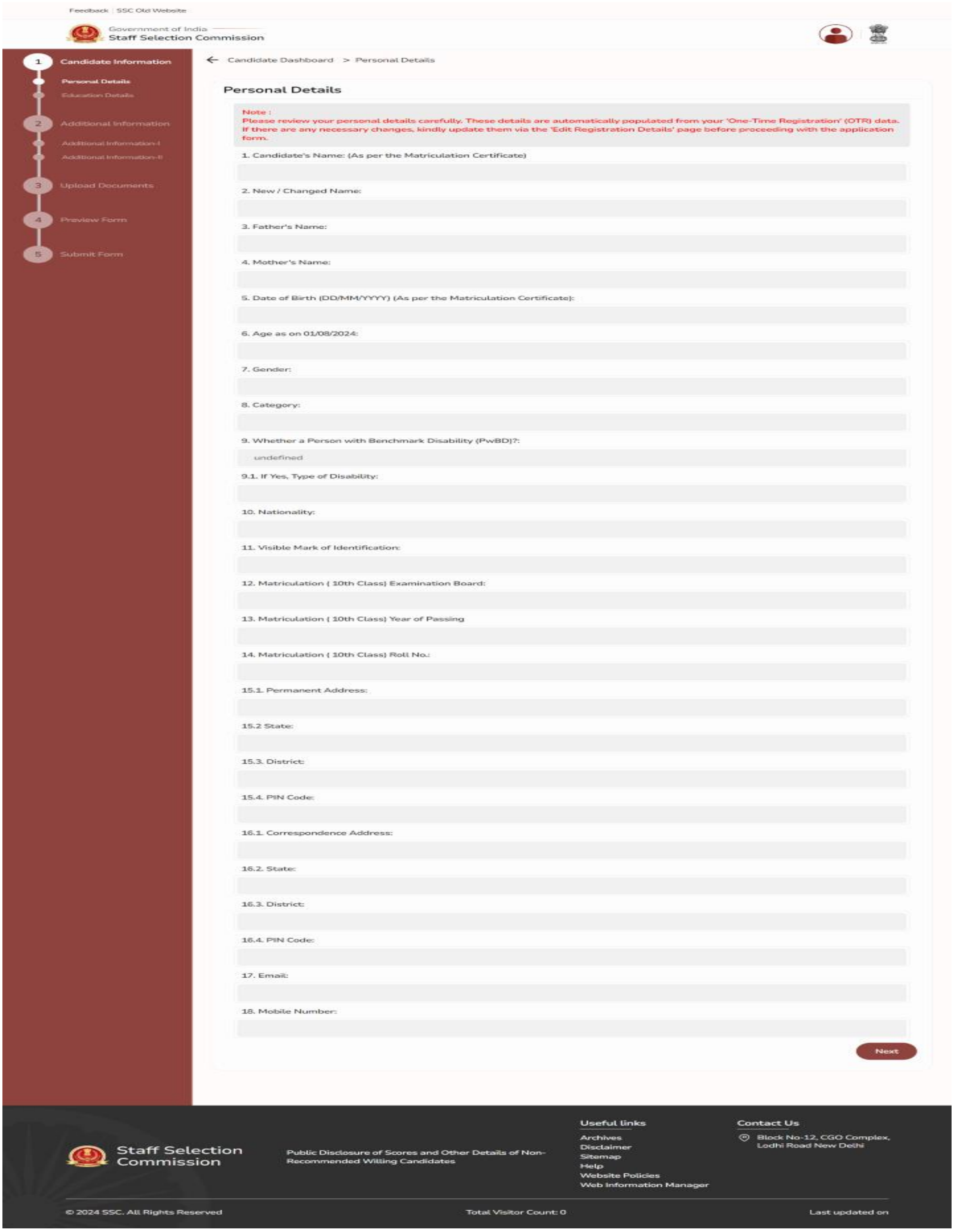
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Please review your personal details carefully. These details are automatically populated from your 'One-Time Registration' (OTR) data. If there are any necessary changes, kindly update them via the 'Edit Registration Details' page before proceeding with the application form.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2024:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:
undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 0
Last updated on

2. शिक्षा का विवरण

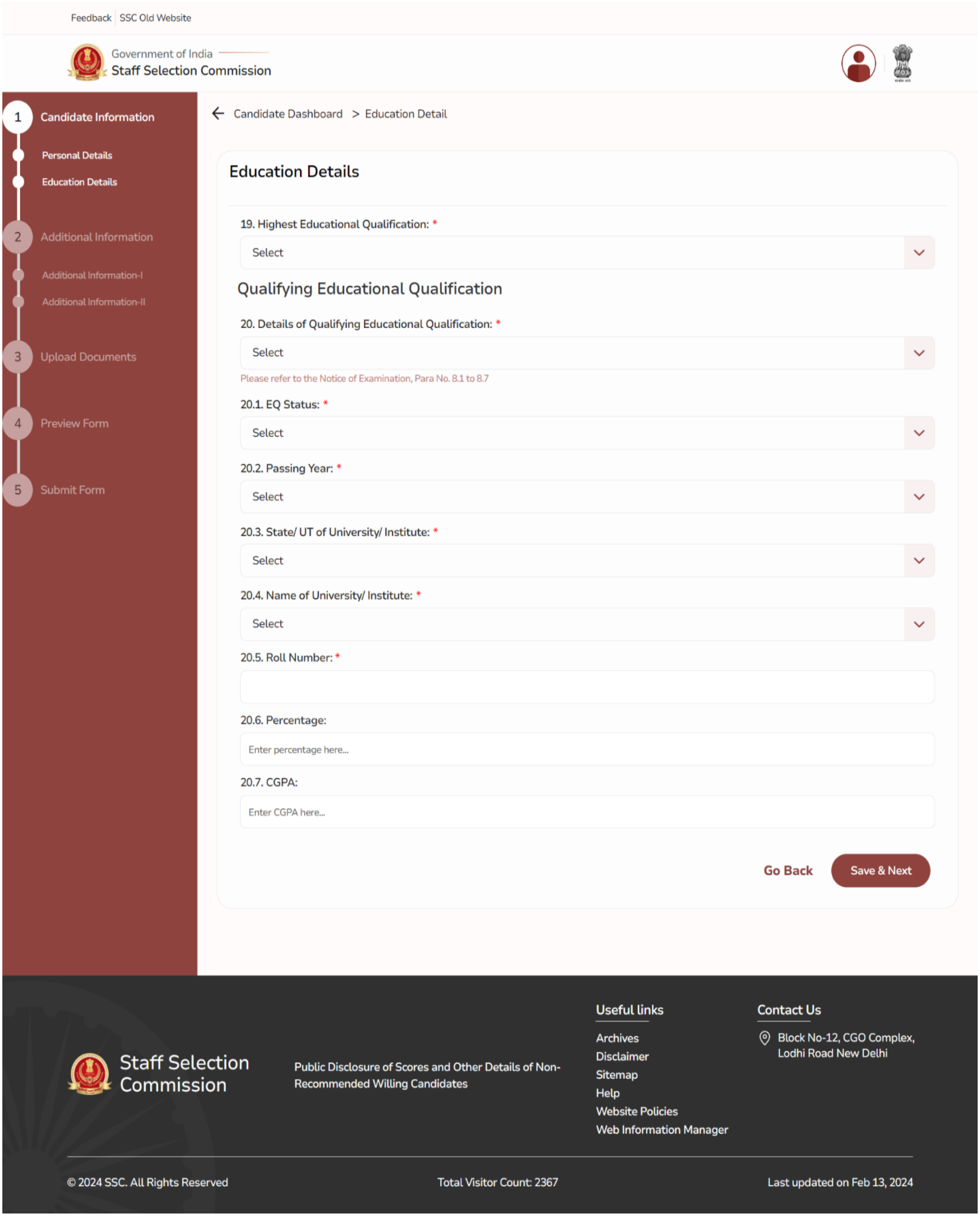

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *
Select

Qualifying Educational Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 8.1 to 8.7

20.1. EQ Status: *
Select

20.2. Passing Year: *
Select

20.3. State/ UT of University/ Institute: *
Select

20.4. Name of University/ Institute: *
Select

20.5. Roll Number: *

20.6. Percentage:
Enter percentage here...

20.7. CGPA:
Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 2367

Last updated on Feb 13, 2024

3. अतिरिक्त जानकारी-I

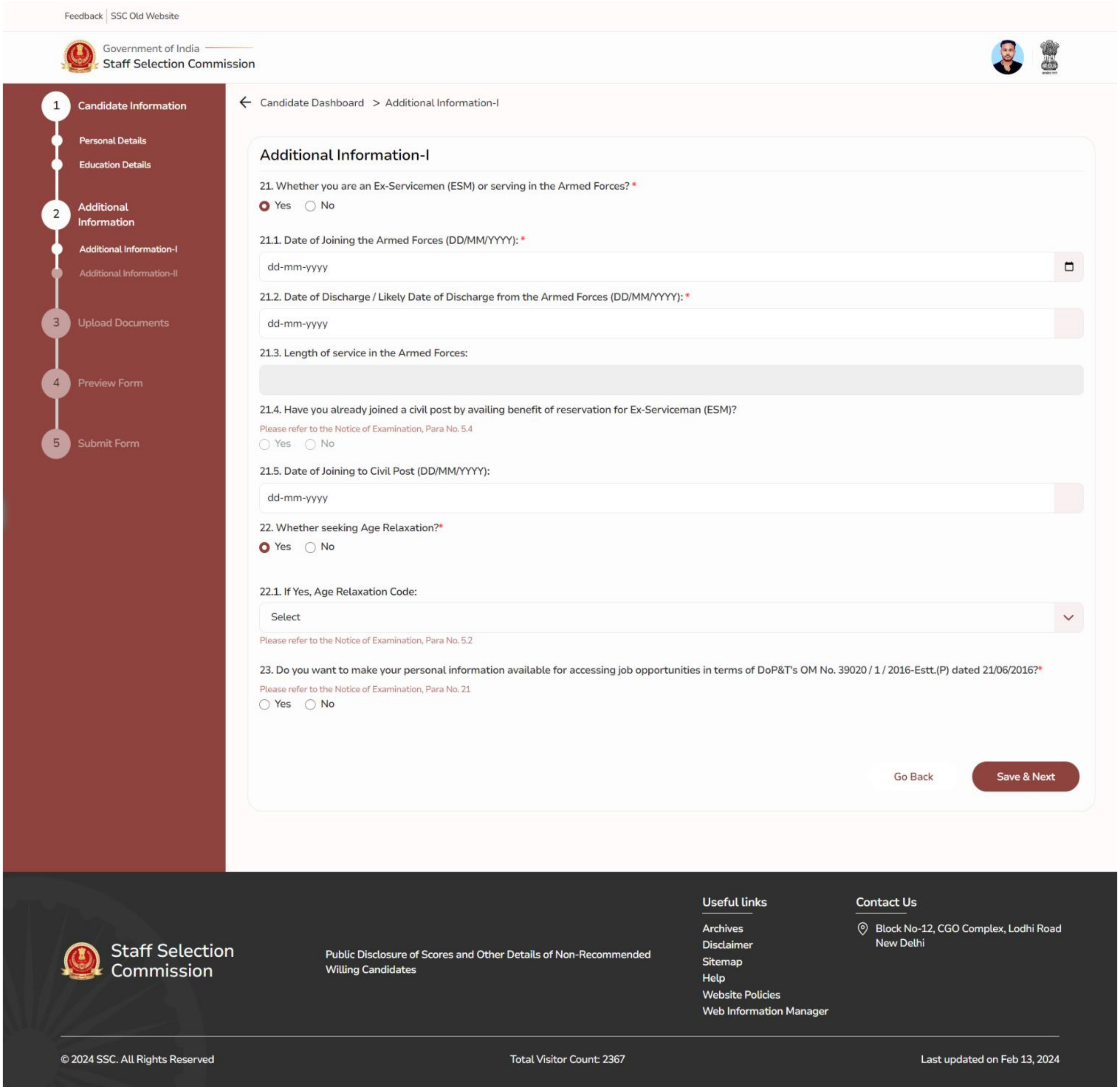

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

Yes No

21.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

dd-mm-yyyy

21.2. Date of Discharge / Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

dd-mm-yyyy

21.3. Length of service in the Armed Forces:

21.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.4

Yes No

21.5. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

dd-mm-yyyy

22. Whether seeking Age Relaxation?*

Yes No

22.1. If Yes, Age Relaxation Code:

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.2

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No. 39020 / 1 / 2016-Estt.(P) dated 21/06/2016?*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 21

Yes No

Go Back Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved Total Visitor Count: 2367 Last updated on Feb 13, 2024

4. अतिरिक्त जानकारी-II

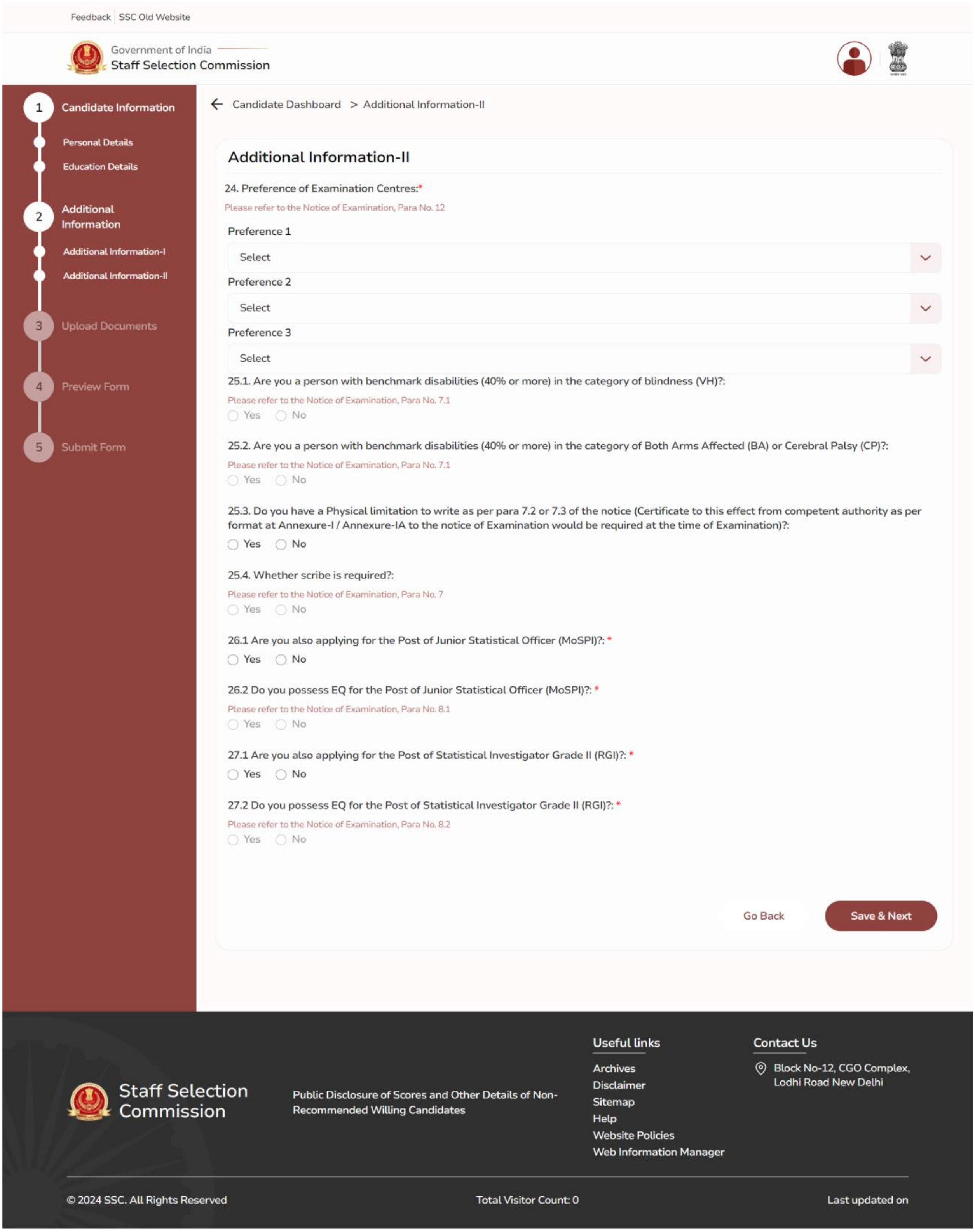

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

24. Preference of Examination Centres:*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 12

Preference 1

Select

Preference 2

Select

Preference 3

Select

25.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1

Yes No

25.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Both Arms Affected (BA) or Cerebral Palsy (CP)?:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1

Yes No

25.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I / Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?:

Yes No

25.4. Whether scribe is required?:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7

Yes No

26.1 Are you also applying for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI)?: *

Yes No

26.2 Do you possess EQ for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI)?: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 8.1

Yes No

27.1 Are you also applying for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI)?: *

Yes No

27.2 Do you possess EQ for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI)?: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 8.2

Yes No

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 0

Last updated on

5. दस्तावेज अपलोड करना :

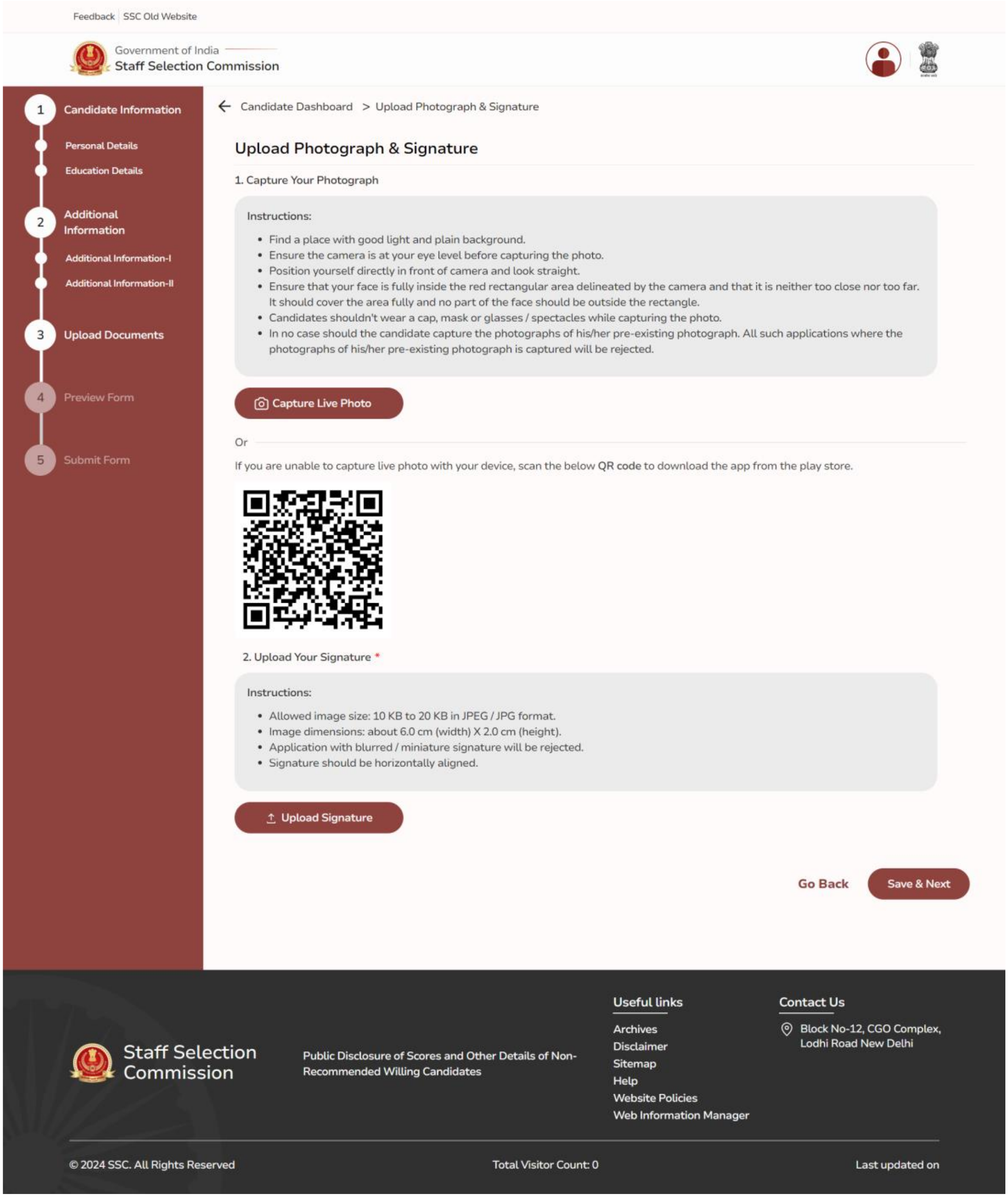

6. प्रपत्र पूर्वावलोकन :

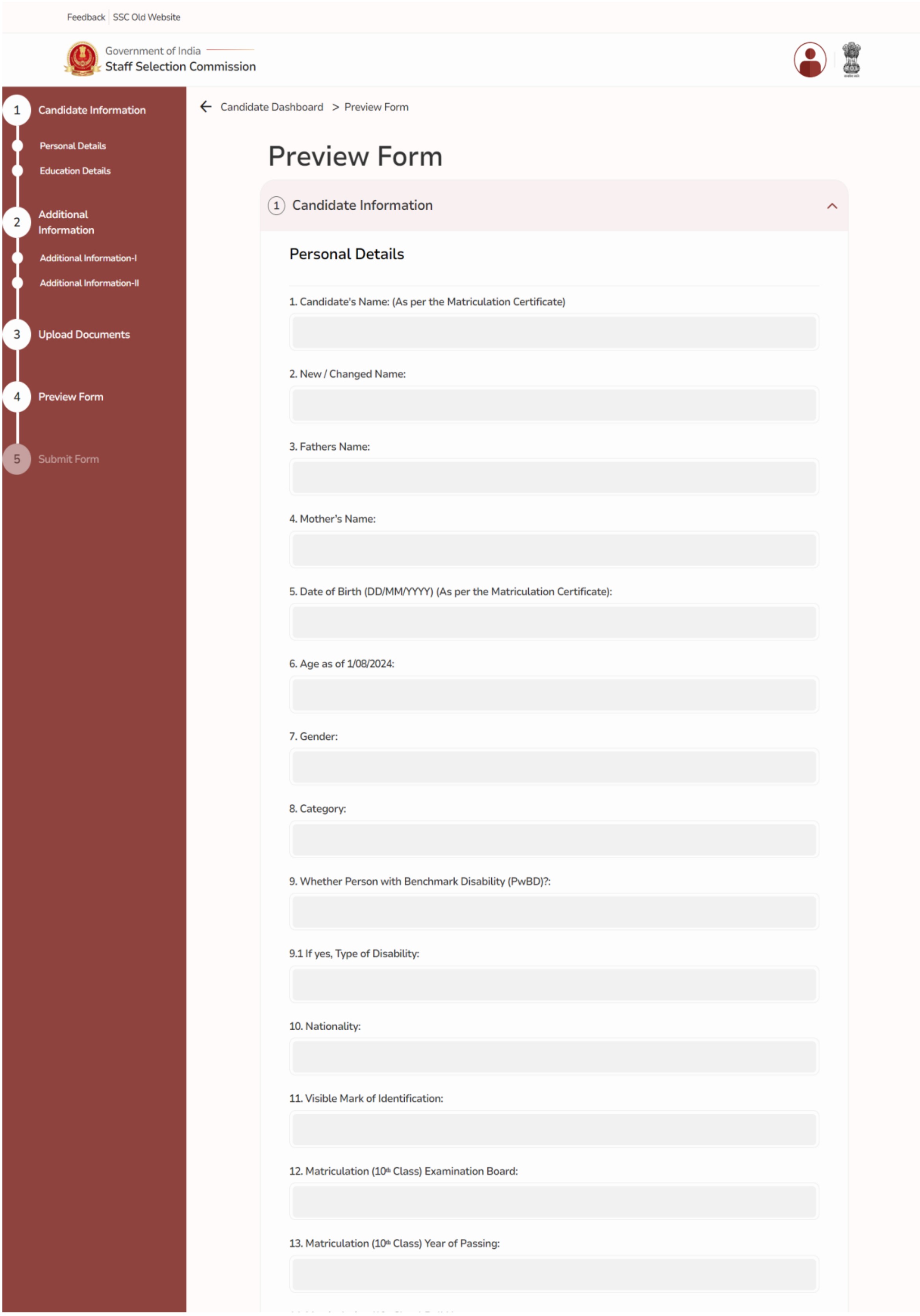

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3 District:

15.4 PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3 District:

16.4 PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Educational Details

Edit

19. Highest Educational Qualification:

20. Details of Qualifying Educational Qualification:

20.1. EQ Status:

20.2. Passing Year:

20.3. State / UT of University/ Institute:

20.4. Name of University/ Institute:

20.5. Roll Number:

20.6. Percentage:

20.7. CGPA:

(2) Additional Details

Additional Information-I

Edit

21. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces?:

21.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

21.2. Date of Discharge / Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

21.3. Length of service in the Armed Forces:

21.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?:

21.5 Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

22. Whether seeking Age Relaxation?:

22.1. If Yes, Age Relaxation Code:

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No. 39020 / 1 / 2016-Estt.(P) dated 21/06/2016?:

Additional Information-II

Edit

24. Preference of Examination Centres:

24.1. Preference 1:

24.2. Preference 2:

24.3. Preference 3:

25.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?:

25.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Both Arms Affected (BA) or Cerebral Palsy (CP)?:

25.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I / Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?:

25.4. Whether scribe is required?:

25.5. Will you make your own arrangement of Scribe?:

25.6. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

26.1 Are you also applying for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI):

26.2 Do you possess EQ for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): Statistical Officer (MoSPI):

27.1 Are you also applying for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI): Statistical Officer (MoSPI):

27.2 Do you possess EQ for the Post of Statistical Investigator Grade II (RGI):

③ Uploaded Documents:

Photo	Signature
photo	signature

Go Back   Save & Next

7. घोषणा :

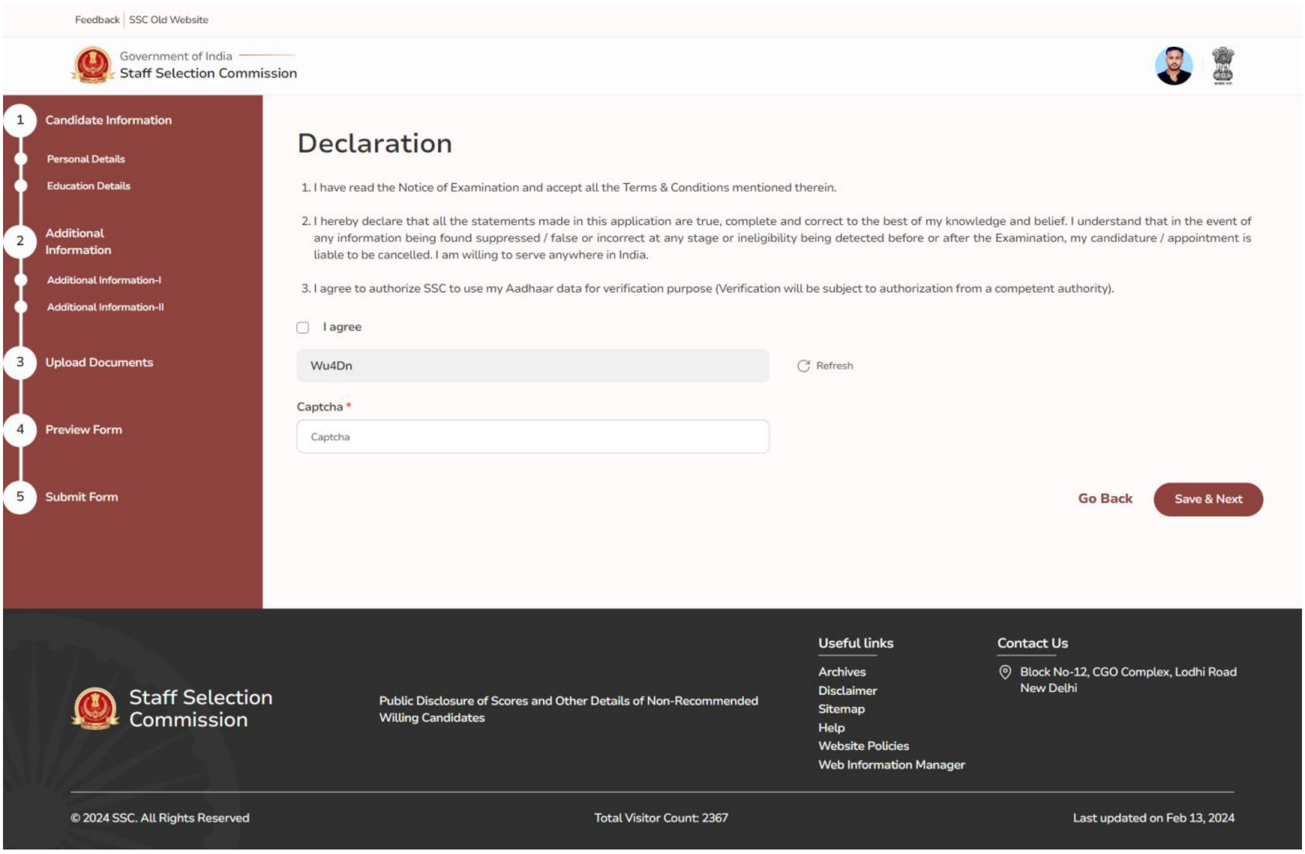
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Declaration
1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed / false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose (Verification will be subject to authorization from a competent authority).
I agree
Wu4Dn
Refresh
Captcha *
Captcha
Go Back
Save & Next
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 2367
Last updated on Feb 13, 2024

<u>अनुबंध-V</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)_______________ (रैंक)________________ (नाम)___________________________ (दिनांक)_______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थानः कार्यालय की मुहरः

दिनांकः

<u>**अनुबंध-VI**</u>

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ...., अनुक्रमांक ....परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतदद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ....
नाम: ....
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: ....
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....
कार्यमुक्ति की तिथि: ....
अंतिम इकाई / कोर: ....
मोबाइल नंबर: ....
ईमेल आईडी:......................

<u>अनुबंध-VII</u>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री____________________ निवासी ग्राम/कस्बा* ______________ जिला/संभाग* _____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के _________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____________
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____________
@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____________
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____________

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम,1986 , अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986,और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968
@संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968
@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान(अनुसूचितजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ के पिता/ माता श्री/श्रीमती _________ निवासी _________ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी _________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*_________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ में रहता है ।

हस्ताक्षर _________
**पदनाम_________

स्थान _________

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक_________

राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणीः</u>- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।
**<u>जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-</u>

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
+(प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट पद से नीचे के नहीं।)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
(v) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर के सचिव/ विकास प्राधिकारी (लक्षद्वीप)।

<u>अनुबंध-VIII</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _________ सुपुत्र/सुपुत्री _________ ग्राम/कस्बा _________ जिला/संभाग _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004-स्था (रेस), दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/2013-स्था (रेस), दिनांक 27.05.2013**की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक: हस्ताक्षर------------------------

मुहरः पदनाम--------------------------$

---

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**- समय समय पर यथा संशोधित

$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

<u>अनुबंध- IX</u>

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

<u>आर्थिक रूप से पिछ्डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाण-पत्र संख्या_______________ दिनांक ___________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________स्थायी निवासी _____________________गाँव/गली ______________ डाकघर _____________________ जिला _____________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ____________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम..................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

<u>अनुबंध -X</u>

प्रारूप-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -------------- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ------------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -------------- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ------------ %(अंकों में) ------------ % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/ नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- XI

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* --*जन्म तिथि* ------------------ *(दि/म/व*) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			

16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/ गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह).............(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणत: बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XII

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---*जन्म तिथि* ------------------ (*दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे .... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी			

	विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष .... माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) ...... (माह) .... (वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@- उदाहरणतः बाएं/ दाएं/ दोनों बाहें/ टांगे

#- उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आंखे

€- उदाहरणत: बाएं/ दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIII

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	**कोड**
अनुवाद में प्रमाणपत्र	03
अनुवाद में डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी।)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35